कलकत्ता पत्तन न्यास (गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज परिदान) विनियम , 1994

Calcutta Port Trust (Interest Subsidy on House Building Advance) Regulations ,1994

संशोधन/ Amendments ;-

1. जी एस आर सं. 162 (ई) दिनांक 29 मार्च 1996
   GSR No. 162 (E) dated 29th March 1996

कोलकाता पत्तन न्यास
Kolkata Port Trust

HBA

(4)

डी.एल.-33004/94

REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Spb-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 282] नई दिल्ली, बुधवार, जून 29, 1994/असाढ़ 8, 1916
No. 282] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 29, 1994/ASADHA 8, 1916

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 1994

सा.,का.नि. 554 (अ) :—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलकत्ता, पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज परिदान) विनियम, 1994 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

सा. सं. [illegible] -12016/[illegible]

[illegible]

कलकत्ता पत्तन न्यास

(गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज परिदान)

विनियम, 1994

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का अधिनियम 38) की धारा 28 के साथ पठित धारा 124 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलकत्ता पत्तन का न्यासी मण्डल एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:—

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ:

(1) इन विनियमों को कलकत्ता पत्तन न्यास (गृह निर्माण पर ब्याज परिदान) विनियम, 1994 कहा जायेगा।

(2) यह सरकारी राजपत्र में अधिसूचित होने की तारीख से लागू होगा।

2. प्रयुक्ति विस्तार:

ये विनियम निम्नलिखित पर लागू होंगे—

(1) बोर्ड के सभी स्थायी कर्मचारियों पर तथा,

(2) बोर्ड के उन कर्मचारियों पर जो कम से कम 10 वर्ष की [illegible]

3. परिभाषा:

इन विनियमों में जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "बैंक" से इन विनियमों के अन्तर्गत न्यासियों द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय बैंक अभिप्रेत है।

(ख) "बोर्ड" से कलकत्ता पत्तन का न्यासी मण्डल अभिप्रेत है।

(ग) "चेयरमैन" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ।

(घ) "एफ.ए. एण्ड सी.ए.ओ." से न्यासी मण्डल के वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी अभिप्रेत है ।

(ङ) "वित्तीय संस्थान" से न्यासियों द्वारा अनुमोदित संस्था जिसके द्वारा गृह भवन ऋण स्वीकृत की जाती है, अभिप्रेत है ।

(च) "उपादन" से चाहे मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति उपादान/बोर्ड के कर्मचारियों पर यथा लागू पेंशन विनियमों की व्यवस्था के अन्तर्गत उपदान या कलकत्ता पत्तन न्यास के अंशदायी भविष्य निधि के सदस्य के रूप में उन्हें स्वीकार्य "विशेष अंशदान" अभिप्रेत है ।

(छ) "विभागाध्यक्ष" से महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 124 के उपबंधों के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष अभिप्रेत है ।

(ज) "ऋण" से इन विनियमों के अन्तर्गत गृह निर्माण ऋण अभिप्रेत है ।

4. इन विनियमों के प्रयोजन हेतु :—

(1) बोर्ड द्वारा उन वित्तीय संस्थानों की एक सूची बनायी जायेगी जहां गृह-निर्माण अग्रिम संबंधी योजना लागू है ।

(2) इस विनियम के अन्तर्गत गृह-निर्माण अग्रिम के पात्र कर्मचारी यदि ब्याज परिदान चाहेंगे, तो उन्हें उन्हीं वित्तीय संस्थानों में ऋण स्वीकृति के लिए आवेदन करना होगा और तब वित्तीय संस्थान उनके कागजों को बोर्ड के एफ.ए. एण्ड सी.ए.ओ. के पास भेज देगा।

5. जब पति पत्नी दोनों ही बोर्ड के कर्मचारी हों, तो उनमें से किसी एक को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।

6. ब्याज परिदान :

भारत सरकार समय-समय पर जिस ब्याज दर पर अपने कर्मचारियों को ऋण देता है बोर्ड भी अपने कर्मचारियों को उसी प्रकार के ऋण के लिए उस ब्याज दर और राष्ट्रीयकृत बैंक या जीवन बीमा निगम या एच.डी.एफ.सी. द्वारा समय-समय पर पत्तन कर्मचारियों को दिए गए ऋण के न्यूनतम ब्याज दर की अंतर की पूर्ति के लिए परिदान देगा, जो निम्नलिखित अवस्थाओं में देय होगा।

(क) कर्जदार को दिए गए गृह अग्रिम राशि पर उस पर लगाए गए ब्याज के दर सहित वास्तविक रूप से अदा की गई ब्याज के सम्बन्ध में वित्तीय संस्थानों जैसे :—राष्ट्रीयकृत बैंकों, जीवन बीमा निगम तथा एच.डी.एफ.सी. के प्रमाण-पत्र के आधार पर बोर्ड संबंधित कर्मचारियों को ब्याज परिदान देगा।

(ख) बोर्ड भुगतान में चूक के लिए किसी भी संबंधित वित्तीय संस्थानों द्वारा लाए गए किसी प्रकार का दण्डस्वरूप ब्याज नहीं देगा ।

(ग) यदि वित्तीय संस्थान, कर्जदार द्वारा समय पर भुगतान के लिए छूट देता है तो बोर्ड द्वारा कर्मचारी [illegible] छूट की सीमा तक कम कर दी जाएगी ।

7. इन विनियम के अन्तर्गत कर्मचारी अपनी पूरी सेवा के दौरान केवल एक बार लाभ उठाएगा ।

8. अग्रिम जिसके लिए ब्याज परिदान देय है, का प्रयोजन :

निम्नलिखित प्रयोजन के लिए कर्मचारी द्वारा वित्तीय संस्थानों से लिए गए अग्रिम के लिए ब्याज परिदान की मंजूरी दी जायेगी ।

(1) शहर/नगर और उप नगर की सीमा के भीतर, जहां से कर्मचारी सुविधापूर्वक कार्यालय पहुंच सके, नये मकान का निर्माण (उसी प्रयोजन के लिए भूमि खंड के अर्जन सहित) ।

(2) संबंधित कर्मचारी द्वारा अपने (या केवल अपने पति/पत्नी के साथ संयुक्त रूप में मालिक हो) वर्तमान मकान गृह में आवासीय स्थान में वृद्धि करने जो शहर या उप नगर की सीमा के भीतर हो जहां से कर्मचारी सुविधापूर्वक अपने कार्यालय पहुंच सके ।

(3) तैयार मकान या फ्लैट जो कि शहर या उप नगर की सीमा के भीतर हो जहां से कर्मचारी सुविधानुसार अपने कार्यालय पहुंच सके की खरीद ।

9. अग्रिम की अधिकतम राशि जिस पर ब्याज परिदान देय है :—

किसी भी कर्मचारी को अग्रिम पर ब्याज परिदान की स्वीकृति की सीमा उसके मासिक वेतन के 50 गुणा राशि के समान जो अधिकतम 2.50 लाख रुपये होगी।

टिप्पणी :—इस प्रयोजन के लिए वेतन का अर्थ [illegible] वेतन (जहां छुट्टी स्थिति में उठाया गया हो को छोड़कर) सहित मूल वेतन होगा ।

10. बनाये जाने वाले/खरीदे जाने वाले मकान की अनुमानित लागत

अग्रिम पर ब्याज परिदान की स्वीकृति के प्रयोजन के लिए बनाये जाने वाले/खरीदे जाने वाले भू खंड की लागत को छोड़कर) मकान या गृह की अनुमानित लागत स्वीकार्य ऋण राशि के दुगुने से अधिक नहीं होगी।

11. स्वीकार्य ऋण राशि, जिस पर बोर्ड द्वारा ब्याज परिदान देय है की गणना के प्रयोजन के लिए चुकौती क्षमता।

स्वीकार्य ऋण राशि, जिस पर बोर्ड द्वारा परिदान देय हो, की गणना के प्रयोजन के लिए कर्मचारी की चुकौती की क्षमता की निम्नलिखित रूप में गणना किया जायेगा :—

(क)	20 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के मामले में।	वेतन का 35 प्रतिशत तक ।
(ख)	10 वर्ष बाद और 20 वर्ष से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के मामले में ।	वेतन का 40 प्रतिशत तक और इसके अतिरिक्त मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्त उपदान के 60 प्रतिशत पर भी विचार किया जायेगा।
(ग)	10 वर्ष के बीच सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के मामले में।	वेतन का 50 प्रतिशत तक इसके अतिरिक्त मृत्यु-सह-सेवानिवृत्त उपदान के 70 प्रतिशत पर भी विचार किया जा सकता है।

[illegible] कर्मचारी वर्तमान वेतनमान में पायेगा तथा अर्हक सेवाओं के वर्षों की गणना जिसे वह अपने सेवा निवर्तन समय तक प्राप्त करेगा के आधार पर की जायेगा।

12. गृह-निर्माण अग्रिम पर ब्याज परिदान की देय अवधि की सीमा :

कर्मचारी द्वारा वित्तीय संस्थानों से लिए गए अग्रिम पर बोर्ड द्वारा ब्याज परिदान का भुगतान कर्मचारी की सेवा समाप्ति की तिथि तक किया जायेगा (चाहे निवर्तन पर सेवा निवृत्ति, ऐच्छिक सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, बर्खास्तगी या सेवा से निकाले जाने या मृत्यु के कारण या कोई भी कारण से) या कर्मचारी द्वारा ऋण की चुकौती की तिथि तक जो भी पहले हो ।

13. ऋण की चुकौती के लिए बोर्ड जिम्मेवार नहीं होगा :

(1) बोर्ड न तो ऋण की चुकौती के लिए जिम्मेवार होगा और न ही वित्तीय संस्थानों से कर्मचारी द्वारा ऋण प्राप्ति के लिए जिम्मेवार समझा जायेगा।

(2) हर कर्मचारी जो बैंक से गृह-निर्माण अग्रिम लेना चाहता है उसे उस राष्ट्रीयकृत बैंक में अपने निजी नाम से खाता खोलना पड़ेगा तथा उसे बोर्ड को अपना मासिक वेतन उसी बैंक, जिसमें उसे अपना खाता खोलना है, में भेजने के लिए प्राधिकृत करना होगा।

(3) कोई कर्मचारी जो वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त करना चाहता है उसे संस्थान द्वारा मांगे गए सभी विवरण तथा वित्तीय संस्थान द्वारा यथा अपेक्षित शर्तों को तैयार करने के लिए उसे उस अग्रिम के लिए जमानतनामा पेश करना होगा।

निर्वचन :

इन विनियमों से सम्बन्धित उठाये गये किसी भी प्रश्न को निर्णय के लिए बोर्ड के समक्ष रखा जायेगा।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

New Delhi, the 27th June, 1994

NOTIFICATION

G.S.R. 554(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of Section 124, read with Sub-section (i) of Section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Calcutta Port Trust (Interest Subsidy on House Building Advance) Regulations, 1994 made by the Board of Trustees for the Port of Calcutta and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulation shall come into force on the date of publication of this notification in official Gazette.

[No. PR-12016|20|94-PE-I]
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

CALCUTTA PORT TRUST

(Interest Subsidy on House Building Advance) Regulations, 1994

In exercise of the powers conferred by Section 28 read with Section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963 (Act 38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Calcutta hereby makes the following Regulations namely :—

1. Short Title and Commencement.—(i) These Regulations may be called the Calcutta Port Trust (Interest Subsidy on House Building Advance) Regulations, 1994.

(ii) This will come into force from the date of notification in the Official Gazette :

2. Extent of Application.—These Regulations shall apply—

(i) To all permanent employees of the Board, and

(ii) To other employees of the Board who have rendered at least 10 years' continuous service.

3. Definition.—In these Regulations, unless the context otherwise requires :—

(a) "Bank" shall mean National Bank approved by the Trustees under these Regulations.

(b) "Board" means the Board of Trustees of the Port of Calcutta.

(c) "Chairman" shall mean the Chairman of the Board.

(d) "F.A. & C.A.O." shall mean the Trustees' Financial Adviser & Chief Accounts Officer.

(e) "Financial Institutions" shall mean the Institutions duly approved by the Trustees through which House Building loans are granted.

(f) "Gratuity" means either Death-cum-Retirement Gratuity|gratuity admissible to the employees of the Board under the provision of Pension Regulations as applicable to them or "Special Contribution" admissible to them as members of Contributory Provident Fund of the Calcutta Port Trust.

(g) "Head of Department" means a Head of Department under the provisions of Section 24 of the Major Port Trusts Act, 1963.

(h) "Loan" shall mean the house building loan under these Regulations.

4. For the purpose of this Regulation—(1) a panel of Financial Institutions having Schemes for House Building Advance will be prepared by the Board.

(2) an employee eligible for House Building Advance under the Regulation may apply to such financial institutions for grant of a loan and if he wants the interest subsidy under this Regulation, the financial institutions will forward the paper to the F.A. & C.A.O. of the Board.

(7)

5. Where both husband and wife are employees of the Board, only one of them will be eligible for benefit under this Scheme.

6. **Interest Subsidy.**—The Board may grant subsidy to the employees to meet the difference between the rate of interest at which the Government of India sanctions similar loans to their own employees from time to time and the lowest among the rates of interest charged by the Nationalised Banks or L.I.C. or H.D.F.C. on loan granted by them to Port employees from time to time subject to the following conditions :—

(a) The Board will pay the interest subsidy to the employees concerned on the basis of a certificate from the Financial Institution like Nationalised Banks, LIC or HDFC with regard to the interest actually paid by the borrower on the house building advance made to him along with the rate of interest charged.

(b) The Board will not pay any penal interest levied by the Financial Institutions concerned for defaults in payment.

(c) The subsidised interest payable to the employees by the Board will be reduced to the extent of rebate, if any, allowed by the Financial Institutions to the borrower for timely repayment of loan.

7. An employee will get benefit under this Regulation only once during his|her entire service.

8. **Purpose of advance for which interest subsidy is payable.**—Interest subsidy will be granted for advance taken by the employees from Financial Institutions for the following purpose—

(i) constructing a new house (including acquisition of a plot of land for the purpose) within the limits of a City|Town and its Suburb from where the employee can conveniently reach office,

(ii) enlarging living accommodation in an existing house owned by the employee concerned (or jointly owned with his|her wife|husband only) situated either within the limits of a City|Town and its Suburb from where the employee can conveniently reach office,

(iii) purchase of a ready-built house or flat within the limits of a City|Town and its Suburb from where the employees can conveniently reach office.

9. **Maximum amount of advance on which interest subsidy is payable.**—Employees may be granted interest subsidy on advance not exceeding an amount equal to 50 times the monthly pay, subject to a maximum of Rs. 2.50 lakhs.

Note : Pay for this purpose will mean basic pay including officiating pay (excluding where drawn in a leave vacancy).

10. **Estimated cost of house to be built|purchased.**—The estimated cost of the house to be built|purchased (excluding the cost of the plot) for the purpose of grant of interest subsidy on the advance shall not exceed double the admissible loan amount.

11. **Repaying capacity for the purpose of calculating the admissible loan amount on which subsidy is payable by the Board.**—For the purpose of calculating the admissible loan amount on which interest subsidy is payable by the Board, the repaying capacity of the employee shall be calculated in the following manner :—

(a) In the case of employees retiring after 20 years.	35% of pay
(b) In the case of employees retiring after 10 years, but not more than 20 years.	Upto 40% pay : 60% of Death-cum-Retirement Gratuity may also be taken into consideration in addition.
(c) In the case of employees retiring within 10 years.	Upto 50% of pay : in addition Death-cum-Retirement Gratuity upto 70% can also be taken into consideration.

Death-cum-Retirement Gratuity shall be calculated on the basis of notional basic pay that the employee will draw in the existing scale of pay and the numbers of years of qualifying services that he will render at the time of his superannuation.

12. **Period upto which interest [illegible] on house building advance is payable.**—Interest subsidy on the advance borrowed by the employee from the Financial Institutions shall be paid by the Board only upto the date of termination of the service of the employee (either due to retirement on superannuation, voluntary retirement, compulsory retirement, dismissal or removal from service or death or due to whatever reasons) or upto the date of repayment of loan in full by the employee, whichever is earlier.

13. Board not to stand as guarantor for repayment of loan.—(i) The Board shall not stand as guarantor for repayment of the loan nor will be deemed as guarantor for the loans obtained by the employee from the Financial Institutions.

(ii) Every employee obtaining house building advance from a Nationalised Bank will be required to open a Bank Account in their individual name with such Bank and authorise the Board to remit their monthly salary to their Bank Account opened with such Nationalised Bank.

(iii) An employee obtaining a loan from a Financial Institution will be required to submit such details as required by the Financial Institutions and he will also have to provide such security for the advance and to comply with such terms and conditions as may be required by the Financial Institutiutions.

14. Interpretation.—Any question arising out of these Regulations will be placed before the Board for decision.

1548 GI/94—2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994

HBA First Amendment [illegible] Regulations, 1996

1st

रजिस्ट्री सं० डी०एल०—33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 134] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 29, 1996/चैत्र 9, 1918

No. 134] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 29, 1996/CHAITRA 9, 1918

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1996

सा. का. नि. 162(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलकत्ता पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज परिदान) प्रथम विनियम, 1996 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[फा० सं० पी० आर०-12016/30/95-पी० ई० I]

के० आर० भाटी, संयुक्त सचिव

अनुसूची

कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज परिदान) विनियम, 1994 के विनियम 8 का संशोधन

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की [illegible] धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते [illegible] अग्रिम पर ब्याज परिदान) विनियम, 1994 में संशोधन हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा :

संक्षिप्त नाम :

1. इन विनियमों को कलकत्ता पत्तन न्यास (गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज परिदान), प्रथम संशोधन विनियम, 1996 कहा जा सकेगा।

2. सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से यह लागू माना जाएगा।

3. कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज परिदान) विनियम, 1994 में—

विनियम 8 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

8. "अग्रिम का वह प्रयोजन, जिसके लिए ब्याज परिदान देय हो—[illegible] संस्थाओं से कर्मचारियों द्वारा लिए गए अग्रिम हेतु ब्याज परिदान निम्नलिखित

से दिया जाएगा :—

(i) नए गृह निर्माण हेतु (इस उद्देश्य से भू-खंड प्राप्त किया जाना भी शामिल) या तो कार्य स्थल पर हो या सेवा निवृत्त होने के बाद इस पत्तन का कर्मचारी जहां भी निवास करना चाहता हो, वहां पर।

(ii) संबंधित कर्मचारी द्वारा अपने (या केवल अपने पति/पत्नी के साथ जिस गृह का संयुक्त रूप से स्वामी हो) वर्तमान गृह में आवासीय स्थान में वृद्धि कराने के लिए। यह गृह या तो उसके कार्य स्थल पर हो या सेवा निवृत्त होने के बाद इस पत्तन का कर्मचारी जहां भी निवास करना चाहता हो, वहां पर हो।

(iii) कर्मचारी के कार्यस्थल पर या सेवा निवृत्त होने के बाद इस पत्तन का कर्मचारी जहां भी निवास करना चाहता हो, वहां पर निर्मित मकान या फ्लैट की खरीद पर।"

टिप्पणी :—मूल विनियम भारत सरकार के राजपत्र में जी. एस. आर. संख्या 554 (अ) दिनांक 27/29-6-94 को प्रकाशित हो चुके हैं।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT
(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 1996

G.S.R. 162(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124 read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Calcutta Port Trust Employees (Interest Subsidy on House Building Advance) First Amendment Regulations, 1996 made by the Board of Trustees of the Port of Calcutta and set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[F. No. PR-12016/30/95-PE. I]
K. R. BHATI, Jt. Secy.

SCHEDULE

Amendment to Regulation 8 of the Calcutta Port Trust Employees' (Interest Subsidy on House Building Advance) Regulations, 1994

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and with the sanction of the Central Government under Sub-section (1) of Section 124 of that Act, the Board of Trustees for the Port of Calcutta hereby makes the following regulations to amend the Calcutta Port Trust Employees' (Interest Subsidy on House Building Advance) Regulations, 1994.

Short Title :

1. These Regulations may be called the Calcutta Port Trust Employees' (Interest Subsidy on House Building Advance) First Amendment Regulations, 1996.

2. This will come into force with effect from the date of publication in the Official Gazette.

3. In the Calcutta Port Trust Employees' (Interest Subsidy on House Building Advance) Regulations, 1994 :—

Regulations 8 shall be substituted by the following :

"Purpose of advance for which interest subsidy is payable—Interest subsidy will be granted for Advance taken by the employees from Financial Institutions for the following purpose :—

(i) constructing a new house (including acquisition of a plot of land for the purpose) either at the place of duty or at the place where the employee of this Port proposes to settle after retirement.

(ii) enlarging living accommodation in an existing house owned by the employee concerned (or jointly owned with his/her wife/husband only) either at the place of duty or at a place where the employee of this Port proposes to settle after retirement.

(iii) purchase of a ready-built house or flat either at the place of duty or at a place where the employee of this Port proposes to settle after retirement."

Foot Note :—The principal regulations were published in the Gazette of India vide G.S.R. No. 554(E) dated 27/29-6-94.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1996